

मस्कारी गणट, जत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 06 मार्च, 2003 ई0 काल्गुन 15, 1924 शक सम्बत्

> उत्तरांचल शासन कार्मिक अनुभाग-2

संख्या 237 / कार्निक-2 / 2003-55(25) 2002 देडरादून, 06 मार्च, 2003

> अधिसूचना प्रकीर्ण

सा० प० नि०-11

संविधान के अनुष्टेंद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके भी राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनात हैं:--

उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003

 (1) यह नियमावली "उत्तरांचल सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003" कहलायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रभावी होगी।

(3) यह 'भारत का संविधान' के अनुष्टेंद 229 से आच्छादित उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिकारियों और कर्मचारियों के सिवाय संविधान के अनुष्टेंद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन सरकारी सेवकों पर लागू होगी।

2 जब तक विषय या सदर्भ में कोई प्रतिकृल बात न हो, इस नियमावली में -

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तारवर्य सुसगत सेवा नियमावली के अधीन पर्दा पर नियुक्ति करने के लिए संशक्त प्राधिकारी से हैं; संक्षिप्त नाम और आरम्म

Danne

- (ख) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से हैं:
- (ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा आयोग से है;
- (घ) "विभागीय जाँच" का तात्पर्य इस नियमावली के नियम-7 के अधीन जाँच रो है.
- (ङ) "अनुशासनिक प्राधिकारी" काःतात्पर्य नियम–६ के अधीन शास्तियाँ अधिरोधित करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी से हैं;
- (च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है
- (छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है:
- (ज) ''सरकारी सेनक'' का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के कार्य-कलापों के सबंध में लोक सेवा और पद पर भियुक्त किसी व्यक्ति से है;
- (झ) "समूह क, ख, ग और घ के पदों" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली या इस संबंध में समय-समय पर जारी सरकार के आदेशों में इस रूप में उल्लिखित पदों से है:
- (ट) "सेवा" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के कार्य-कलापों के संबंध में लोक सेवाओं और पदों से है।

शास्तियाँ

 निम्नलिखित शारितयाँ, उपयुक्त और पर्याप्त कारण होने पर और जैसा आगे उपविधित है, सरकारी सेवकों पर अधिरोपित की जा सकेंगी :--

(क) लघ् शास्तियाँ-

- (एक) परिनिन्दा;
- (दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकना;
- (तीन) आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से यस्ल किया जाना;
- (चार) समृह "घ" पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में जुर्माना :
 - परन्तु ऐसे जुर्माने की धनराशि किसी भी रिथित में, उस मास के देतन के, जिसमें जुर्माना अधिरोपित किया गया हो, पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ख) दीई शास्तियाँ-

- (एक) संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धि का रोकना;
- (दो) किसी निम्नतर पद-या श्रेणी या समय वैतनमान या किसी समय वैतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति करना;
- (तीन) सेवा से हटाना जो भविष्य में नियोजन से निरहित नहीं करता हो.
- (चार) सेवा से पदच्यति जो मयिष्य में नियोजन से निरर्हित करता हो।

स्पष्टीकरण-इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति की कोटि मूँ नहीं माना जायेगा, अर्थात् :-

- (एक) किसी विभागीय परीक्षा चत्तीर्ण करने में विफल रहने पर या सेवा को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार किसी अन्य शर्त को पूरा करने में विफल रहने पर किसी सरकारी सेवक की वेतनवृद्धि का रोकना;
- (दो) सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्ति किसी व्यक्ति का परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर नियुक्ति के निबंधन या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार सेवा में प्रतिवर्तन;
- (तीन) परिवोक्षा पर नियुक्त किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अविष के दौरान या उसकी समान्ति पर सेवा के निबंधन या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों ०और आदेशों के अनुसार सेवा का पर्यवस्थन।

निलम्बन

4 (1) जोई सरकारी सेवक जिसके आचरण के विरुद्ध कोई कांच अनुध्यात है या उसकी कार्यकाही चल रही है. नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर आंच की समाप्ति के लिखत रहने तक जित्तम्बन के अधील रखा जा अनेना प्रतिबन्ध यह है कि गिलम्बन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि सरकारी सेवक के विरुद्ध अभिकथन इतने गम्मीर न हों कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में सामान्यतः दीर्घ शास्ति का समुचित आधार हो सकता हो:

अर्थतर प्रतिबन्ध यह हैं कि राज्यपाल द्वारा इस निमित्त जारी आदेश द्वारा संशक्त संबंधित विभागाध्यक्ष समूह क' और 'ख' पदों के सरकारी सेवक या सरकारी सेवकों के वर्ग को इस नियम के अधीन निलम्बित कर राकेगा :

परन्तु यह और भी कि समूह "ग" और "घ" पदों के किसी सटकारी सेवक या सरकारी सेव्हों के वर्ग के नामले में नियुक्ति प्राधिकारी अपनी शक्ति इस नियम के अबीन अपने से निम्नतर प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

- (2) कोई सरकारी सेवक. जिसके संबंध में या जिसके विरुद्ध किसी आपराधिक आरोप में संबंधित कोई अन्वेषण, जांच या विचारण, जो सरकारी सेवक के रूप में उसकी स्थिति से संबंधित है या जिससे उसके कर्तब्यों के निर्वहन करने में संकट उत्पन्न होने की संभावना हो यह जिसमें नैतिक अध्यगता अन्तर्गस्त है, लिम्बत हो, नियुवित प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे इस नियमावली के अधीन निलम्बित करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो उसके विवेक पर तब तक निल्म्बित रखा जा सकेंगा जब तक कि उस आरोप से संबंधित समस्त कार्यवाहियाँ समाप्त न हो जायें।
- (3) (क) कोई सरकारी सेवक यदि वह अड़तालिस घण्टे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो चाहे निरोध आपराधिक आरोप पर या अन्यथा किया गया हो, निलम्बित करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निरोध के दिनांक से यथारिथति निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायेगा।
 - (ख) सपर्युक्त सरकारी सेवक अभिरक्षा से०निर्मुक्त किये जाने के प्रस्कात् अपने निरोध के बारे में सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप से सूचित करेगा और समझे गये निलम्बन के विरुद्ध अभ्यावेदन भी कर सकेगा। सक्षम प्राधिकारी मानले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ—साथ इस नियम में दिये गये उपवन्धों के प्रकाश में अभ्यावेदन पर विचार करने के प्रश्चात् अभिरक्षा से निर्मुक्त होने के दिनांक से समझे गये निलम्बन को जारी रखने वा उसका प्रतिसंहरण या उपांतरण करने के लिए समुधित आदेश पारित करेगा।
- (4) कोई सरकारी सेवक उसके सिद्धदोष ठहराये जाने के दिनांक से, यदि किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराये जाने के कारण उसे अड़तालिस घण्टे से अधिक अविध के कारावास की सजा दी गई है और उसे ऐसे सिद्धदोष के फलस्वरूप तत्काल पदच्युत नहीं किया गया है या हद्धया नहीं गया है, तो इस नियमावली के अधीन निलम्बन के लिए सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से, यथास्थिति, निलम्बन के अधीन रखा गया या निरन्तर रखा गया समझा जायेगा।
 - स्पष्टीकरण—इस उपनियम में निर्दिष्ट अड़तालिस घण्टे की अवधि की गणना सिद्धदोष टहराये जाने के पश्चात् और इस प्रयोजन के लिए कारायास की आन्तरायिक कालावधियों को, यदि कोई हो, ध्यान में रखा जायेगा।
- (5) जहां किसी सरकारी सेवक पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की शास्ति को इस नियमावली या इस नियमावली द्वारा विखंडित नियमावली के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन में अपास्त कर दिया जाय और मामले की अर्थतर जांच या कार्यवाही के लिए किन्हीं अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया जाय वहां—
 - (क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्वे निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को, उपर्युक्त किन्हीं ऐसे निर्देशों के अध्यक्तीन रहते हुए, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से, निरनार प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा;

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था, तो यदि उसे अपील या पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाये, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश को और से नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपनियम में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे मामले में जहां किसी सरकारी सेवक पर पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की अधिरोपित शास्ति को इस नियमावली के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण में, उन अभिकथनों के, जिन पर शास्ति अधिरोपित की गयी थी, गुणों से मिन्न आधार पर अपास्त कर दिया गया हो, किन्तु मामले की अग्रेतर जांच या कार्यवाही के लिए या किन्हीं अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया गया हो, उन अभिकथनों पर उसके विरुद्ध अग्रेतर जांच लिम्बत रहते हुए निलम्बन आदेश, इस प्रकार कि उसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, पारित करने की अनुशासनिक प्राधिकारी की शिवत को प्रभावित करता है।

- (6) जहां किसी सरकारी सेवक पर आरोपित पदच्युति या संवा से हटाने की शास्ति को किसी विधि न्यायालय के विनिश्चय या परिणामस्वरूप अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या शून्य कर दिया जाय और नियुक्ति प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर, उसके विरुद्ध उन अभिकथनां जिन पर पदच्युति या हटाने की शास्ति मूलरूप में आरोपित की गई थी, अग्रेतर जांच करने का विनिश्चय करता हो चाहे वे अभिकथन अपने मूल में रहें या उन्हें रपष्ट कर दिया जाय या उनके विवरणों को और अच्छी तरह विनिर्दिष्ट कर दिया जाय या उनके किसी छोटे भाग का लोप कर दिया जाय, वहां—
 - (क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को नियुक्ति प्राधिकारी के किसी निदेश के अध्याधीन रहते हुए पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा;
 - (ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था तो उसे यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निदेशित किया जाय, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और से सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगा।
- (7) जहां कोई सरकारी सेवक (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) निलम्बित कर दिया जाय या निलम्बित किया गया समझा जाय और कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उस निलम्बन के दौरान उसके विरुद्ध प्रारम्भ कर दी जाय, वहां निलम्बित करने के लिए राक्षम प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगा कि सरकारी सेवक तब तक निलम्बित बना रहेगा जब तक ऐसी समस्त या कोई कार्यवाही समाप्त न कर दी जायाँ
- (8) इस नियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया या प्रवृत्त बना हुआ कोई निलम्बन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक किसी सलम प्राधिकारी द्वारा उसे उपान्तरित या प्रतिसंहत न कर दिया जाय।
- (9) इस नियम के अधीन निलम्बन के अधीन समझा गया कोई सरकारी सेवक फाइनेन्शियल हैण्डनुक, खण्ड दो, भाग दो से चार के फन्डामेन्टल रूल-53 के उपवन्धों के अनुसार उपादान मत्ता पाने का हकदार होगा।

नितम्बन अपधि म नेतन और महो आदि 5. इस नियमावली के अधीन यथास्थिति विभागीय जांच या आपराधिक मामले के आधार पर आदेश पारित हो जाने के पश्चात् संबंधित सरकारी शेवक के वेतन और मल के बारे में विनिश्चय और उक्त अवधि को इयूटी पर बिताया गया माना जारंगा अधवा नहीं पर विचार करते हुए उक्त सरकारी सेवक को नोटिस देकर फाइनेश्यितल हैं एउयुक् खण्ड हो, माम हो से बार के नियम—54 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के मीलर स्पष्टीकरण मामने के पश्चात अनुधाराधिक प्राध्विकारी द्वारा किया आधीग।

6. किसी सरकारी संवक का नियुक्ति प्राधिकारी उसका अनुशासनिक प्राधिकारी होगा जो इस नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उस पर नियम—4 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में कोई शास्ति आधिरोपित कर सकेगा : अनुशासनिक प्राचिकारी

प्रतिबंध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो उसके अधीनस्थ हो जिसके द्वारा उसकी वास्तविक रूप में नियुक्ति की गयी थी, पदच्युत या हटाया नहीं जायेगा :

अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि उत्तरांचल श्रेणी—दो सेवा (लघु शास्तियों का आरोपण) नियमावली, 2002 के अधीन अधिसूचित विभागाध्यक्ष इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस नियमावली के नियम—3 में उल्लिखित लघु शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए सशक्त होगा:

प्रतिबंध यह भी है कि इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार अधिसूचित आदेश हारा समूह 'ग' और 'ध' के पदों के किसी सरकारी सेवक के मामले में पदच्युति या सेवा से हटाये जाने के सिवाय किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने की शक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को ऐसी शर्तों के अध्याधीन रहते हुए जैसी उसमें विहित्त की जायें, प्रत्यायोजित कर सकती है।

 किसी सरकारी सेवक पर कोई दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व निम्नलिखित रीति से जांच की जायेगी :--

दीर्घ शास्तियाँ अधिसीपित करने को लिए प्रक्रिया

- (एक) अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं आरोपों की जांच कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को आरोपों की जांच करनी के लिए जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।
- (दो) अवचार के ऐसे तथ्यों को जिन पर कार्यवाही का किया जाना प्रस्तावित हो, निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में रूपान्तरित किया जायेगा जिसे आरोप— पत्र कहा जायेगा। आरोप—पत्र अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जायेगा:

प्रतिबंध यह है कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हों वहां आरोप-पत्र संबंधित विभाग के यथास्थिति, प्रमुख समिव या सचिव द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा।

- (तीन) विरचित आरोप इतने संक्षिप्त और स्पष्ट होंगे जिससे आरोपित सरकारी संवक के विरुद्ध तथ्यों और परिस्थितियों के पर्याप्त उपदर्शन हो सकें। आरोप-पत्र में प्रस्तादित दस्तावेजी साध्यों और उसे सिद्ध करने के लिए प्रस्तादित गवाहों के नाम मौखिक साक्ष्यों के साथ, यदि कोई हों, आरोप-पत्र में उल्लिखित किये जायेंगे।
- (चार) आरोपित सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी विनिर्देष्ट दिनांक को जो आरोप—पत्र के जारी होने के दिनांक से 15 दिन से कम नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रतिरक्षा में एक लिखित कथन प्रस्तुत करें और यह कथन करें कि आरोप—पत्र में उल्लिखित किसी साक्षी का प्रतिपरीक्षा करना चाहता है और क्या वह अपनी प्रतिरक्षा में साइय देना या प्रस्तुत करना चाहता है। उसको यह भी सूचित किया जायेगा कि विनिर्देष्ट दिनांक को उसके उपस्थित न होने या लिखित कथन दाखिल न करने की दशा में यह उपचारणा की जायेगी कि उसके पास प्रस्तुत करने के लिए कुछ नहीं है और जांच अधिकारी एक पक्षीय जाच पूरी करने की कार्यवाही करेगा।
- (पांच) आरोप-पत्र, उसमे उल्लिखित वस्तावेजी साक्ष्यों की प्रति और साक्षियों की सूर्या और उनके कथन, यदि कोई हों, के साथ आरोपित सरकारी सेवक को व्यक्तिगत रूप से या एजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कार्यालय अभिलेखों में उल्लिखित पतं पर तामील की जायेगी, उपर्युक्त रीति से आरोप-पत्र तामील न कराये जा राकने की दशा में आरोप-पत्र को ध्यापक परिवालन वाले किसी दैनिक समाधार-पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील कराया जाएगा

प्रतिबंध यह है कि जहां दस्तावेजी साध्य विशाल हो वहां इसकी प्रति आरोप-पन्न के साथ प्रस्तुत करने के बजाय, आरोपित सरकारी सेवक को उस जांच अधिकारी के समक्ष निरीक्षण करने की अनुजा दी जादेगी।

- (छः) जहां आरोपित सरकारी संवक उपस्थित होता है और आरोपों को स्वीकार करता है, वहां जांच अधिकारी ऐसी अभिस्वीकृति के आधार पर अपनी रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
- (सात) जहां आरोपित सरकारी सेवक आरोपों को इन्कार करता है, वहां जांच अधिकारी आरोप-पत्र में प्रस्तावित साक्षी को बुलाने की कार्यवाही करेगा और आरोपित सरकारी सेवक की उपस्थिति में जिसे ऐसे सातियों की प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया जायेगा, उनके मौखिक साह्य को अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साह्य को अभिलिखित करेगे के पश्चात् जांच अधिकारी उस मौखिक साह्य को मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित सरकारी सेवक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था:

प्रतिबंध यह है कि जांच अधिकारी ऐसे कारणों से जो लिखित रूप ने अभिलिखित किये जायेंगे, किसी साक्षी का बुलाने से इन्कार कर सकेगा।

- (आठ) जांच अधिकारी उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साह्यों को हाजिर होने और दस्तावैज पेश करने के लिए बाध्य करना) अधिनियम, 1976 (जो उत्तरांचल में उठप्रव प्रमावी है), के उपबन्धों के अनुसार अपने समक्ष किसी साक्षी को साह्य देने के लिए बुला सकेगा या किसी व्यक्ति से दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।
- (नौ) जांच अधिकारी सत्य का पता लगाने या आरोपों से सुसंगत तथ्यों का उधित प्रमाण प्राप्त करने की दृष्टि से किसी भी समय, किसी साक्षी से या आरोपित व्यक्ति से कोई भी प्रश्न, जो वह चाहे, पूछ सकता है।
- (दस) जहां आरोधित सरकारी सेवक जांच में किसी नियत दिनांक पर या कार्यवाही के किसी भी स्तर पर उसे सूचना तामील किये जाने या दिनांक की जानकारी रखने के बावजूद उपस्थित नहीं होता है, तो जांच अधिकारी, एक पशीय जांच की कार्यवाही करेगा। ऐसे मामले में जांच अधिकारी, आरोधित सरकारी सेवक की अनुपस्थिति में, आरोप-पत्र में उल्लिखित साहियों के कथन को अमि:लिखित करेगा।
- (म्यारह) अनुशासनिक प्राधिकारी, चिंदै वह ऐसा करना आवश्यक समझता हो, आदेश द्वारा उसकी और से आरोप के समर्थन में मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी सरकारी सेवा या विधिक व्यवसायी को जिसे प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहा जायेगा, नियुवत कर सकता है।
- (बारह) सरकारी सेवक अपनी और से मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकता है किन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी विधिक व्यवसायी की सेवा तब तक नहीं ले सकता है जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कोई विधिक व्यवसायी न हो या अनुशासनिक प्राधिकारी ने मामले की परिश्वितियों को ध्यान में रखते हुए. ऐसी अनुशा न दें दी हो:

प्रतिबंध यह है कि यह नियम निम्नलिखित गामलों में लागू नहीं होगा:-

(एक) जहां किसी ध्यक्षित पर कोई दीर्घ शास्ति ऐसे आधरण के आधार पर अधिरोपित की गयी हो जो किसी आपराधिक आरोप पर उसे सिद्धदांचे उस्रोये, या

- (दो) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, यह समाधान हो जाता है कि इस नियनावली में उपबंधित रीति से जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहारिक नहीं हैं; या
- (तीन) जहां राज्यपाल का यह समायान हो जाये कि राज्य की सुरक्षा के हित में इस नियमावली में उप्हाधित रीति से जांच किया जाना समीचीन नहीं है।
- जांच पूरी हो जाने पर जांच अधिकारी जांच के समस्त अमिलेखों के साथ अपनी जांच रिपोर्ट अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जांच रिपोर्ट में संक्षिप्त तथ्यों का पर्याप्त अभिलेख, साध्य और प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष का विवरण और उसके कारण अन्तर्विष्ट होंगे। जांच अधिकारी शास्ति के बारे में कोई संस्तुति नहीं करेगा।

जांच रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना

9. (1) अनुशासनिक प्राधिकारी सरकारी सेवक को सूचना देते हुए ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, मामला पुनः जांच के लिए उसी या किसी अन्य जांच अधिकारी को प्रेषित कर सकेगा। तदुपरान्त जांच अधिकारी उस स्तर से जिससे अनुशासनिक प्राधिकारी हारा निर्देशित किया गया हो, नियम—7 के उपबंधों के अनुसार जांच की कार्यवाही करेगा।

जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही

- (2) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह किसी आरोप के निष्कर्ष पर जांच अधिकारी से असहमत हो तो उस अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अपने निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा।
- (3) आरोप सिद्ध न होने की दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आरोपित सरकारी सेवक को आरोपों से विमुक्त कर दिया जायेगा और तद्नुसार ससे सुचित कर दिया जायेगा।
- (4) बिद समस्त या किन्हीं आरोपों के निष्कर्मों को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि नियम—3 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति आरोपित सरकारी सेवक पर अधिरोपित होनी चाहिए, तो वह उपनियम (2) के अधीन जांच रिपोर्ट और "उसके अभिलिखित निष्कर्मों की एक प्रति आरोपित सरकारी सेवक को देगा और उससे उसका अभ्यावेदन, यदि वह ऐसा चाहता हो, एक युक्तियुक्त चिनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी जांच और आरोपित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो, और इस नियमावली के नियम—16 के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए इस नियमावली के नियम—3 में उल्लिखित एक या अधिक शास्तियाँ अधिरोपित करते हुए एक युक्तिसंगत आदेश पारित करेगा और उसे आरोपित सरकारी सेवक को संसूचित करेगा।
- 10. (1) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि ऐसी प्रक्रिया को अंगीकार करने के लिए समुचित और पर्याप्त कारण हैं, वहां वह लपनियम (2) के जपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, नियम-3 में जिल्लिखित एक या अधिक लघु शास्तियाँ अधिरोपित कर सकेगा।

लपु शास्तियाँ है अधिरोपित करन्य के लिए प्रक्रिया

- (2) सरकारी सेवक को उराके विरुद्ध अम्यारोपणों का सार सूचित किया जायेगा और उससे एक युक्तियुक्त समय के भोतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी। अनुशासनिक प्राधिकारी उक्त स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और सुसंगत अभिलेखों पर विचार करने के परचात् ऐसा आदेश जीसा वह उचित समझता है, पारित करेगा और जहां कोई शास्ति अधिरोधित की जाय, वहां उसके कारण दिये जायेगे। आदेश संबंधित सरकारी सेवक को संसूचित किया जायेगा।
- 11. (1) इस नियमावली कुं अधीन राज्यपाल द्वारा पारित आदेश के शिवाय शरकारी सेवक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित किशी आवेश की अपील अगले उच्चतर प्राधिकारी को करने का हकदार होगा।

अर्थाल

- (2) अपील, अपील प्राधिकारी को संबोधित और प्रस्तुत की जायेगी। यदि कोई सरकारी सेवक अपील करेगा तो वह उसे अपने नाम से प्रस्तुत करेगा। अपील में ऐसे समस्त तात्विक कथन और तर्क होंगे जिन पर अपीलार्थी मरोसा करता हो।
- (3) अपील में किसी असंयमित भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कोई अपील जिसमें ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाय, सरसरी तौर पर खारिज की जा सकेगी।
- (4) अपील आक्षेपित आदेश की संसूचना के दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी। उनत अवधि के पश्चात् की गई कोई अपील सरसरी तौर पर खारिज कर दी जायेगी।

अधील पर विचार

- 12. अपील प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् अपील में इस नियमावली के नियम-13 के खण्ड (क) से (घ) में यथा उल्लिखित ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे :--
 - (क) क्या ऐसे तथ्य जिन पर आदेश आधारित था, स्थापित किये जा चुके हैं;
 - (ख) क्या स्थापित किये गये तथ्य कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं, और
 - (ग) क्या शास्ति अत्यधिक, प्याप्ति या अपर्याप्त है।

पुनरीक्षण

- 13. इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, सरकार स्वप्रेरणा से या संबंधित सरकारी सेवक के अभ्यावेदन पर किसी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगा सकेगी जिसका विनिश्चय उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी हारा इस नियगावली हारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके किया गया हो; और
 - (क) ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि कर सकेगी, उसका उपान्तर कर सकेगी या उसे उलट सकेगी, या
 - (ख) निवेश दे सकेंगी कि मामले में अग्रेतर जांच की जाय, या
 - (ग) आदेश द्वारा अधिरोपित दण्ड को कम कर सकेगी या उसमें वृद्धि कर सकेगी, या
 - (घ) मामले में ऐसा अन्य आवेश वे सकेगी जैसा वह उचित समझे।

पुनविलोकन

14. राज्यपाल, यदि उसके संज्ञान में यह बात लाई गई हो कि आक्षेप आदेश पारित करते समय कोई ऐसी नई सामग्री या साक्ष्य को पेश न किया जा सका था या वह उपलब्ध नहीं था या विधि की कोई ऐसी तात्विक त्रुटि हो गयी थी जिसका प्रभाव गामले की प्रकृति को परिवर्तित करता हो, तो वह किसी भी समय स्वप्रेरणा से या संबंधित सरकारी, सेवक के अभ्यावेदन पर इस नियमावली के अधीन अपने द्वारा पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेंगे।

शास्ति अधिरोपित करने या वृद्धि करने के पूर्व 15. नियम—12, 13 और 14 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने या उसमें वृद्धि करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित सरकारी सेवक को प्रस्तावित यथास्थिति, अधिरोपित करने या वृद्धि करने के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

आयोग से परामशं

16. इस नियमानली के अधीन राज्यपाल द्वारा किसी आदेश के पारित किये जाने के पूर्व समय—समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (कृत्यों का परिसीमन) विनियम. 1954 (जो उत्तरांचल में उ० प्रठ पुनर्गंडन अधिनियम, 2000 की धारा 88 के प्राविधानों के अन्तर्गंत प्रभावी है) के अधीन यथा अपेक्षित आयोग से भी परामर्श किया जागा।

विखण्डन और आवृति 17. (1) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं के लिए इण्ड एवं अपील नियमावली. 1932 ने उल्लिखित शक्तियों का प्रत्यायोजन और सिविल सेवा (वर्षीकरण, नियमण एवं अपील) नियमावली. 1930 या उठ प्रव आधीनस्थ सेवाओं के लिए इण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 के अधीन जोरी किया गया कोई ऐसा आदेश जिसमें किसी.

प्राधिकारी की नियम-3 में उल्लिखित किन्हीं शास्तियों को अधिरोपित करने की राक्ति या निलम्बन की शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, इस नियमावली के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा और तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि उसे रदद या विखंडित न कर दिया जाय।

- (2) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक को खण्ड (1) में वर्णित नियमावलियों के अन्तर्गत अथवा उ० ५० सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के अन्तर्गत लिम्बल कोई जांच, अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन जारी रहेगा और इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन निर्णीत किया जायेगा।
- (3) इस नियमावली की कोई बात किसी व्यक्ति को किसी अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के ऐसे अधिकार के अवर्तन से वंधित नहीं करेगी जो उसे इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी पारित आवेश के संबंध में इस नियमावली के प्रवर्तन न होने पर प्राप्त होते और इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व पारित किसी आदेश के संबंध में अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन को इस नियमावली के अधीन दाखिल की जायेगी और तदनुसार निस्तारित की जायेगी मानो इस निवमावली के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवत्त थे।

आज्ञा से.

आलोक कुमार जैन, सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 237/Karmik-2/ 2003-55(25) 2002, dated March 06, 2003.

> No. 237/Karmik-2/2003-55(25) 2002 Dated Dehradun, March 06, 2003

NOTIFICATION Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following Rules:

THE UTTARANCHAL GOVERNMENT SERVANT (DISCIPLINE AND APPEAL) **RULES, 2003**

(1) These rules may be called the "The Uttaranchal Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 2003".

Short title and Commencement

- (2) They shall come into force at once.
- (3) They shall apply to Government Servants under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution except the Officers and Servants of the High Court of Judicature at Nainital covered under Article 229 of the Constitution of India.
- In these Rules, unless there in anything repugnant in the subject or context-- Definitions

- (a) "Appointing Authority" means the Authority empowered to made appointments to the posts under the relevant service Rules;
- (b) "Constitution" means the Constitution of India:
- (c) "Commission" means the Uttaranchal Public Service Commission;
- (d) "Departmental Inquiry" means the inquiry under rule-7 of these Rules.

- (e) "Disciplinary Authority" means an Authority empowered under rule-6 to impose penalties;
- (f) "Governor" means the Governor of Uttaranchal;
- (g) "Government" means the State Government of Uttaranchal;
- (h) "Government Servant" means a person appointed to public services and posts in connection with the affairs of the State of Ultaranchal;
- (i) "Group A, B, C and D post" means the posts mentioned as such in the relevant Service Rules or the orders of the Government issued from time to time in this regard;
- "Service" means the public services and posts in connection with the affairs
 of the State of Uttaranchal.

Penallies

 The following penalties may, for good and sufficient reason and as hereinafter provided, be imposed upon the Government Servants:--

(a) Minor Penalties ---

- (i) Censure:
- (ii) Withholding of increments for a specified period;
- (iii) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to Government by negligence or breach of orders;
- (iv) Fine in case of persons holding Group "D" posts:

Provided that the amount of such fine shall in no case exceed twenty five percent of the months pay in which the fine is imposed.

(b) Major Penalties --

- (i) Withholding of increments with cumulative effect;
- Reduction to a lower post or grade or time scale or to a lower stage in a time scale;
- (iii) Removal from the Service which does not disqualify from future employment;
- (v) Dismissal from the Service, which disqualifies from future employment.

Explanation—The following shall not amount to penalty within the meaning of this Rule, namely .—

- withholding of increment of a Government Servant for failure to pass a departmental examination or for failure to fulfil any other condition in accordance with the rules or orders governing the service;
- (ii) Reversion of a person appointed on probation to the Service during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of appointment or the rules and orders governing such probation;
- (iii) Termination of the Service of a person appointed on probation during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of the Service for the rules and orders governing such probation.

Suscension

 A Government Servant against whose conduct an inquiry is contemptated, or is praceeding may be placed under suspension pending the conclusion of the inquiry in the discretion of the Appointing Authority

Provided that suspension should not be resorted to unless the allegations against the Government Servant are so serious that in the event of their bening established may ordinarily warrant major penalty.

Provided further that concerned Head of the Department empowered by the Governor by an order in this behalf may place a Government Servant or class of Government Servants belonging to Group 'A' and 'B' posts under suspension under this Rule.

Provided also that in the case of any Government Servant or class. of Government Servants belonging to Group "C" and "D" posts, the Appointment Authority may delegate its power under this Rule to the next lower authority.

- (2) A Government Servant in respect of, or against whom an investigation, inquiry or trial relating to a criminal charge, which is connected with his position as a Government Servant or which is likely to embarrass him in the discharge of his duties or which involves moral turpitude, is pending, may, at the discretion of the Appointing Authority or the Authority to whom the power of suspension has been delegated under these rules, be placed under suspension until the termination of all proceedings relating to that charge.
- (3) (a) A Government Servant shall be deemed to have been placed or, as the case may be, continued to be placed under suspension by an order of the Competent Authority to suspend, with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether the detention is on criminal charge or otherwise, period exceeding forty eight hours.
 - (b) The aforesaid Government Servant shall, after the release from the custody, inform in writing to the Competent Authority about his detention and may also make representation against the deemed suspension. The Competent Authority shall after considering the representation in the light of the facts and circumstances of the case as well as the provisions contained in this rule, pass appropriate order continuing the deemed suspension from the date of release from custody or revoking or modifying it.
- (4) Government Servant shall be deemed to have been placed or, as the case may be, continued to be placed under suspension by an order of the Competent Authority to suspend under these rules, with effect from the date of his conviction if in the event of a conviction for an offence he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty eight hours and is not forthwith dismissed removed consequent to such conviction.
 - Explanation--A period of forty eight hours referred to in sub-rule 11 be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermitent periods of imprisonment shall be taken to account.
- (5) Where a penalty of dismissal or removal from Service imposed upon a Government Servant is set aside in appeal or on review under these rules or under rules resinded by these rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions:
 - (a) If he was under suspension immediately before the penalty was awarded to him, the order of his suspension shall, subject to any such directions as aforesaid, be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal;
 - (b) If he was not under suspension, he shall, if so directed by the appellate or Reviewing Authority, be deemed to have been placed under suspension by an order of the Appointing Authority on and from the date of the original order of dismissal or removal;

Provided that nothing in this sub-rule shall be construe as affecting the power of the Disciplinary Authority in a case where a penalty of dimissal or removal in Service imposed upon a Government Servant is set aside in appeal or on review under these rules grounds other than the merits of the allegations which, the said penalty was imposed but the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions to pass an order of suspension being further inquiry against him on those allegations so, however, that any such suspension shall not have retrospective effect.

(6) Where penalty of dismissal or removal from Service imposed upon a Government Servant is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the Appointing Authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal or removal was originally imposed, whether the allegations remain in their original form or are clarified or their particulars better specified or any part thereof of a minor nature omitted.

- (a) If he was under suspension immediately before the penalty was awarded to him, the order of his suspension shall, subject to any direction of the Appointing Authority, be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal or removal;
- (b) If he was not under such suspension, he shall, if so directed by the Appointing Authority, be deemed to have been placed under suspension by an order of the Competent Authority on and from the date of the original order of dismissal or removal.
- (7) Where a Government Servant is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise) and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension, the Competent Authority to place him under suspension may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the Government Servant shall continue to be under suspension lift the termination of all or any of such proceedings.
- (8) Any suspension ordered or deemed, to have been ordered or to have continued in force under this Rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the Competent Authority.
- (9) A Government Servant placed under suspension or deemed to have been placed under suspension under this rule shall be entitled to subsistence allowance in accordance with the provisions of Fundamental Rule-53 of the Financial Hand Book, Volume-II, Part II to IV.

allowances etc. of the suspension period 5. After the order is passed in the departmental enquiry or in the criminal case, as the case may be under these rules, the decision as to the pay and allowances of the suspension period of the concerned Government Servant and also whether the said period shall be treated as spent on duty or not, shall be taken by the Disciplinary Authority after giving a notice to the said Government Servant and calling for his explanation within a specified period under rule-54 of the Financial Hand Book Volume-II part II to IV.

Disciplinary Authority

The Appointing Authority of a Government Servant shall be his Disciplinary Authority
who, subject to the provisions of these rules, may impose any of the penalties
specified in rule-3 on him:

Provided that no person shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was actually appointed:

Provided further that the Head of Department notified under the Ultranchal Class II Services (Imposition of Minor Punishments) Rules, 2003 subject to the provisions of these rules, shall be empowered to impose minor penalties mentioned in rule-3 of these rules:

Provided also that in case of a Government Servant belonging to Group 'C' and 'D' posts, the Government, by a notified order, may delegate the power to impose any penalty, except dismissal or removal from Service under these rules, to any Authority subordinate to the Appointing Authority and subject to such conditions as may be prescribed therein.

Procedure for imposing major penalties

- Before imposing any major penalty on a Government Servant, an inquiry shall be held in the following manner:--
 - (i) The Disciplinary Authority may himself inquire into the charges or appoint an Authority subordinate to him as Inquiry Officer to inquire into the charges.
 - (ii) The facts constituting the misconduct on which it is proposed to take action shall be reduced in the form of definite charge or charges to be called charge sheet. The chargesheet shall be approved by the Disciplinary Authority.

Provided that where the Appointing Authority is Governor, the chargesheet may be approved by the Principal Secretary or the Secretary, as the case may be, of the concerned department.

- (iii) The charges framed shall be so precise and clear as to give sufficient indication to the charged Government Servant of the facts and circumstances against him. The proposed documentary evidences and the name of witnesses proposed to prove the same alongwith oral evidences, if any, shall be mentioned in the chargesheet.
- (iv) The charged Government Servant shall be required to put in a written statement of his defence in person on a specified date which shall not be less than 15 days from the date of issue of chargesheet and to state whether he desires to cross examine any witness mentioned in the chargesheet and whether desires to give or produce evidence in his defence. He shall also be informed that in case he does not appear or file the written statement on the specified date, it will be presumed that he has none to furnish and Inquiry Officer shall proceed to complete the inquiry exparte.
- (v) The chargesheet, alongwith the copy of documentary evidences mentioned therein and list of witnesses and their statements, if any shall be served on the charged Government Servant personally or by registered post at the address mentioned in the official records in case the chargesheet could not be served in aforesaid manner, the chargesheet shall be served by publication in a daily news paper having wide circulation:

Provided that where the documentary evidence is voluminous, instead of furnishing its copy with chargesheet, the charged Government Servant shall be permitted to inspect the same before the Inquiry Officer.

- (vi) Where the charged Government Servant appears and admits the charges, the Inquiry Officer shall submit his report to the Disciplinary Authority on the basis of such admission.
- (vii) Where the charged Government Servant denies the charges the Inquiry Officer shall proceed to call the witnesses proposed in the chargesheet and record their oral evidence in presence of the charged Government Servant who shall be given opportunity to cross examine such witnesses. After recording the aforesaid evidences, the Inquiry Officer shall call and record the oral evidence which the charged Government Servant desired in his written statement to be produced in his defence:

Provided that the Inquiry Officer may for reasons to be recorded in writing refuse to call a witness.

- (viii) The Inquiry Officer may summon any witness to give evidence or require any person to produce documents before him in accordance with the provisions of the Utter Pradesh Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witness and Production of Documents) Act, 1976 which is enforced in Uttaranchal under provisions of Section-86 of the Uttar Pradesh Reorganization Act, 2000.
- (ix) The Inquiry Officer may ask any question, he pleases, at any time of any witness or from person charged with a view to discover the truth or to obtain proper proof of facts relevant to charges.
- (x) Where the charged Government Servant does not appear on the date fixed in the inquiry or at any stage of the proceeding in spite of the Service of the notice on him or having knowledge of the Date the Inquiry Officer shall proceed with the inquiry exparte. In such a case the Inquiry Officer shall record the statement of witnesses mentioned in the chargesheet in absence of the charged Government Servant.
- (xi) The Disciplinary Authority, if it Considers it necessary to do so, may, by an order, appoint a Government Servant or a legal practitioner, to be known as "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the charge.
- (xii) The Government Servant may take the assistance of any other Government Servant to present the case on his behalf but not engage a legal practitioner for the purpose unless the Presenting Officer appointed by the Disciplinary Authority is a legal practitioner of the Disciplinary Authority having regard to

Provided that this rule shall not apply in following case :-

- Where any major penalty is imposed on a person on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or
- (ii) Where the Disciplinary Authority is satisfied, that for reason to be recorded by it in writing, that it is not reasonably practicable to held an inquiry in the manner provided in these rules; or
- (iii) Where the Governor is satisfied that, in the interest of the security of the State, it is not expedient to hold an inquiry in the manner provided in these rules.

Submission of Inquiry Report 3. When the inquiry is complete, the Inquiry Officer shall submit its inquiry report to the Disciplinary Authority alongwith all the records of the inquiry. The inquiry report shall contain a sufficient record of brief facts, the evidence and statement of the findings on each charge and the reasons thereof. The Inquiry Officer shall not make any recommendation about the penalty.

Action on Inquiry Report

- (1) The Disciplinary Authority may, for reasons to be recorded in writing, remain the case for re-inquiry to the same or any other Inquiry Officer under intimation to the charged Government Servant. The Inquiry Officer shall thereupon proceed to hold the inquiry from such stage as directed by the Disciplinary Authority, according to the provisions of Rule-7.
 - (2) The Disciplinary Authority shall, if it disagrees with the findings of the Inquiry Officer on any charge, record its own findings thereon for reasons to be recorded.
 - (3) In case the charges are not proved, the charged Government Servant shall be exonerated the Disciplinary Authority of the charges and informed him accordingly.
 - (4) If the Disciplinary Authority, having regard to its findings on all or any of charges, is of the opinion that any penalty specified in rule-3 should be imposed on the charged Government Servant, he shall give a copy of the inquiry report and his findings recorded under sub-rule (2) to the charged Government Servant and require him to submit his representation if he so desires, within a reasonable specified time. The disciplinary Authority shall, having regard to all the relevant records relating to the inquiry and representation of the charged Government Servant, if any, and subject to the provisions of rule-16 of these rules, pass a reasoned order imposing one or more penalties mentioned in rule-3 of these rules and communicate the same to the charged Government Servant.

Procedure for imposing minor penalties

- 10. (1) Where the Disciplinary Authority is satisfied that good and sufficient reasons exist for adopting such a course, it may, subject to the provisors of sub-rule (2) impose one or more of the minor penalties mentioned in rule-3.
 - (2) The Government Servant shall be informed of the substance of the imputations against him and called upon to submit his explanation within a reasonable time. The Disciplinary Authority shall, after considering the said explanation, if any and the relevant records, pass such orders as he considers proper and where a penalty is imposed, reason thereof shall be given, the order shall be communicated to the concerned Government Servant.

Appeal

- (1) Except the orders passed under these rules by the Governor, the Government Servant shall be entitled to appeal to the next higher authority from an order passed by the Disciplinary Authority.
 - (2) The appeal shall be addressed and submitted to the Appellate Authority. A Government Servant Preferring an appeal shall do so in his own name. The appeal shall contain all material statements and arguments relied upon by the appellant.
 - (3) The appeal shall not contain any intemperate language. Any appeal which contains such language may be liable to be summarily dismissed.
 - (4) The appeal shall be preferred within 90 days from the date of communication of impugned order. An appeal preferred after the said period shall be dismissed.

12. The Appellate Authority shall pass such order as mentioned in clauses (a) to (d) of rule-13 of these rules, in the appeal as he thinks proper after considering:--

Consideration of Appeals

- (a) Whether the facts on which the order was based have been established;
- (b) Whether the fact established afford sufficient ground for taking action; and
- (c) Whether the penalty is excessive adequate or inadequate.
- 13. Notwithstanding anything contained in these rules, the Government may of its own motion or on the representation of concerned Government Servant call for the record of any case decided by an authority subordinate to it in the exercise of any power conferred on such authority by these rules; and

Revision

- (a) confirm, modify or reverse the order passed by such authority, or
- (b) direct that a further inquiry be held in the case, or
- (c) reduce or enhance the penalty imposed by the order, or
- (d) make such other order in the case as it may deem fit.
- 14. The Governor may, at any time, either on his own motion or on the representation of the concerned Government Servant review any order passed by him under these rules, if it has brought to his notice that any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the impugned order or any material error of law occurred which has the effect of changing the nature of the case.

Review

15. No order under rules 12, 13 and 14 imposing or enhancing any penalty shall be made unless the Government Servant concerned has been given reasonable opportunity or showing cause against the proposed imposition or enhancement, as the case may be.

Opportunity before imposing or enhancing penalty

 Before any order is passed by the Governor under these rules, the Commission, as required under the U.P. Public Service Commission (Limitation of Function) Regulation, 1954 (Which is enforced in Uttaranchal under provision of rule-86 of the U.P. Reorganization Act, 2000) as amended from time to time, shall also be consulted.

Consultation with the Commission

17. (1) Delegation of power mentioned in Punishment and Appeal Rules for Subordinate Services U.P., 1932 and any order issued under the Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1930 or Punishment and Appeal Rules for Subordinate Services, U.P., 1932 delegating the power of imposing any of the penalties mentioned in rule-3 or power of suspension the any authority shall be deemed to have been issued under these rules and shall remain valid unless cancelled or rescinded.

Recission and savings

- (2) Any inquiry appeal, revision or review pending on the date of coming into force of these rules shall be continued and concluded in accordance with the provisions of these rules.
- (3) Nothing in these rules shall operate to deprive any person of any right of appeal, revision or review which he would have had if these rules had not been enforce in respect of any order passed before the commencement of these rules and such appeal, revision or view shall be preferred under these rules and disposed of according by as if the provisions of this rule were enforce at all material times.

By Order

ALOK KUMAR JAIN, Secretary